

लोक निगम -

सरकार आवश्यक उद्यमों की व्यवस्था के लिए विभागों का संगठन करती है किंतु विभागों के संचालन में अत्यधिक असुविधा और कठिनाई आती है। अतः वर्तमान दशक की व्यवस्था में सरकारी क्षेत्र में निगम व्यवस्था का प्रचलन हो गया है। निगम व्यवस्था में व्यापारिक स्वतंत्रता तथा सरकारी नियंत्रण दोनों का अद्भुत समन्वय पाया जाता है। कॉबवेल्ड के शब्दों में " निगम सरकार की शक्ति का जमा पहने होता है परंतु उसमें व्यक्तिगत उद्यम के लिए लोच-शीलता पाई जाती है।"

डीमॉंक के शब्दों में " सरकारी निगम जनता द्वारा संचालित ऐसा उद्योग है जो संघीय राज्य अथवा स्थानीय राज्य के उद्देश्य के लिए किसी विशेष व्यवसाय को संचालित करता है।"

प्रो पिफुनर " सरकारी निगम विभिन्न व्यक्तियों को एक व्यक्ति के रूप में कार्य करने की व्यवस्था करता है। इस प्रकार निगम एक कृत्रिम व्यक्तित्व के रूप में कार्य करता है। यह किसी कार्य को करने के लिए शक्तियों से लैस होता है।"

जॉर्डन के अनुसार निगम की तीन विशेषताएं होती हैं:-

1. कानून द्वारा स्थापित होता।
 2. अपने कार्य में पर्याप्त स्वतंत्रता रखना।
 3. सार्वजनिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कार्य करना।
- इसकी स्थापना के प्रधान कारण हैं - राज्य के कार्यों में वृद्धि, इन कार्यों का सरकारी विभागों द्वारा करने में असमर्थता तथा संयुक्त पूंजीवाली कंपनियों द्वारा इन कार्यों को न किया जाना।

21
लोक निगम के सामान्य लक्षण निम्नलिखित हैं:-

1. कानून द्वारा निर्माण - सरकारी व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित कानून द्वारा होता है। इस कानून के अंतर्गत लोक निगम के उद्देश्य, उसकी शक्तियों एवं कार्यों का वर्णन किया जाता है।
2. स्वतंत्र व्यक्तित्व - इसके एक वैधानिक व्यक्तित्व प्राप्त होता है जो कि विरुद्ध कोर्ट भी न्यायिक कार्यवाही कर सकता है। यह समझौता कर सकता है।
3. त्रिचिंत लक्ष्य - इसका कार्य व्यापारिक एवं औद्योगिक प्रकृति के क्षेत्र हैं तथापि लोक निगम का प्रमुख लक्ष्य लाभो-पार्जन न होकर जन सेवा होता है।
4. वित्तीय स्वायत्तता प्राप्त होती है।
5. स्वायत्तशासी कार्य - मुख्य कार्यपालिका उसके दैनिक कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करती है।
6. शासकीय कर्मचारियों से भिन्न कार्यशैली - उनकी सेवा शर्तें प्रबंध एवं नियंत्रण आदि नागरिक अधिकारों की अपेक्षा व्यापारिक संगठनों के अधिक अनुरूप होती हैं।
7. लाभोपार्जन की भावना का अभाव होता है।
8. मंत्रियों के साथ सम्मानजनक संबंध होता है।
9. शकाधिकारी प्रकृति - निगम के कार्य शकाधिकार प्रकृति के होते हैं।

सरकारी निगम का उद्देश्य :-

1. ऋण की सुविधा - निगम साधारण से साधारण व्यक्तियों द्वारा संचालित उद्योग के लिए ऋण की व्यवस्था करता है।
2. क्षेत्र विशेष के चतुर्मुखी विकास के लिए - परिवारसहित आयोग, दामोदर ज्वेली निगम, डेयरी प्रोसेसिंग आदि इसी श्रेणी में आते हैं।
3. विभिन्न प्रांतों में औद्योगिक विकास के लिए इस प्रकार के विभिन्न निगमों की स्थापना की गई है।

Next notes →